


## सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत श्री जितेन्द्र कुमार राणा पिता- श्री प्रयाग मिस्त्री, ग्राम: सराढ़, थाना: टंडवा, जिला: चतरा (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 अधिनियम के तहत थाना सं. 30, ग्राम: हेचाबलिया-खाता सं० 83 के अधीन प्लॉट सं० -365; खाता सं० 29 के अधीन प्लॉट सं० -247; खाता सं० 90 के अधीन प्लॉट सं० -329; खाता सं० 109 के अधीन प्लॉट सं० -41; एवं खाता सं० 64, के अधीन प्लॉट सं० -40; थाना सं. 29 ग्राम: सराढ़- खाता सं० 43 के अधीन प्लॉट सं० -1433; खाता सं० 70, के अधीन प्लॉट सं० -1575; खाता सं० 74 के अधीन प्लॉट सं० -1280; खाता सं० के अधीन प्लॉट सं० -1270; खाता सं० 6 के अधीन प्लॉट सं० -1274; खाता सं० 69 के अधीन प्लॉट सं० -1271 एवं 1273; खाता सं० 40 के अधीन प्लॉट सं० -1269 एवं 1275; खाता सं० 142 के अधीन प्लॉट सं० -1284; खाता सं० 25 के अधीन प्लॉट सं० -1454 एवं खाता सं० 35 के अधीन प्लॉट सं० -1281; कुल रकबा: - 2.00 एकड़ (रैयती भूमि) के अधिग्रहण के एवज में रोजगार का एक प्रस्ताव अग्रसीत किया गया है।

अगर उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ वेबसाइट [http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti\\_empl\\_ind.php](http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_ind.php) पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से दस दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व) एवं क्षेत्रिय महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर दस दिनों के अंदर उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है।

विनोद  
21/08/2023

  
21/08/2023